



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फ़ैक्स : 0651- 2400850/138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) www.jspcb.org(old)

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

अधिसूचना संख्या... B-16

दिनांक... 04/5/2022

अधिसूचना

पर्षद मंडल की 46वीं बैठक दिनांक 07.04.2022 की कार्यवली संख्या- 6 के निर्णयानुसार जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत शक्तियाँ पर्षद मंडल की 34वीं बैठक में प्रदत्त की गयी थी, जो कि निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	श्रेणी का नाम	CTE अनुमोदित करने की शक्ति		CTO अनुमोदित करने की शक्ति	
		अध्यक्ष	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
1	लाल	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
		5 करोड़ से अधिक	5 करोड़ तक	10 करोड़ से अधिक	10 करोड़ तक
2	नारंगी (हाई रिक)	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
		5 करोड़ से अधिक	5 करोड़ तक	10 करोड़ से अधिक	10 करोड़ तक
3	नारंगी (लो रिक)	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
		5 करोड़ से अधिक	5 करोड़ तक	10 करोड़ से अधिक	10 करोड़ तक
4	हरी	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	क्षेत्रीय पदाधिकारी	
		50 करोड़ से अधिक	10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक	10 करोड़ तक	

पर्षद मंडल की 46वीं बैठक दिनांक 07.04.2022 में लिये गये निर्णय के आलोक में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के तहत refusal/withdrawal की शक्तियाँ सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 प्रदत्त करने वाले प्राधिकार से एक स्तर ऊपर निहित होगी।

ह0/-

(ए0 के0 रस्तोगी)

अध्यक्ष

राँची, दिनांक... 04/5/2022

ज्ञापक... B-899

प्रतिलिपि: सभी संबंधित को सूचनाथे व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वाई0 के0 दास)
सदस्य सचिव